

## अध्याय 29

### सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी नियम

#### भाग 1

#### निबन्धन के पश्चात् और निर्वाचन

1[402. (1) किसी सहकारी समिति के निबन्धक के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसके लिये निबन्धक द्वारा लिखित रूप से अनुज्ञा दी जाये समिति अपनी प्रथम सामान्य बैठक करेगी जिससे केवल वे व्यक्ति भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने समिति के निबन्धन के लिये प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये हों।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बैठक के प्रयोजन के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना, जिसमें बैठक का दिनांक, समय, स्थान और कार्य सूची उल्लिखित होगी, उस व्यक्ति द्वारा दी जायेगी जिसने नियम 5 में अभिदिष्ट प्रथम हस्ताक्षरी के रूप में निबन्धन के लिए प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किया हो।

403. यदि प्रथम हस्ताक्षरी उपर्युक्त बैठक न बुलाने अथवा बुलाये जाने के लिये उपलब्ध न हो तो वह निबन्धक या उसके सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बुलायी जायेगी।

404. नियम 402 में अभिदिष्ट प्रथम सामान्य बैठक में निम्नलिखित क्रम से कार्य सम्पादित किया जायेगा-

(1) बैठक की अध्यक्षता करने के लिए व्यक्ति का निर्वाचन (निर्वाचन हाथ उठा कर होगा)

(2) समिति के संघटन के दिनांक में बैठक में दिनांक तक लेखा-विवरण पत्र पर विचार करना।

(3) नियम 402 के उपनियम (1) में व्यवस्था के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए हकदार व्यक्तियों में से, अस्थाई प्रबन्ध कमेटी का संघटन;

(4) अस्थाई कमेटी के सदस्यों में से समिति के सभापति तथा उप-सभापति का निर्वाचन;

(5) समिति को प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक तक ऐसे अधिकतम दायित्व जो लिये जायें, निश्चित करना;

(6) नये सदस्य बनाना और

(7) कोई अन्य विषय जो समिति की उपविधियों को ध्यान में रखते हुये आवश्यक हो।

2[405. नियम 444-ख में दी गई प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 404 के खण्ड (3) या खण्ड (4) के अधीन निर्वाचन के प्रयोजन के लिये लागू होगी।

406. नियम 404 खण्ड (3) के अधीन संघटित अस्थायी प्रबन्ध कमेटी और उस नियम के उपनियम (4) के अधीन निर्वाचित सभापति और उपसभापति तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि क्रमशः प्रबन्ध कमेटी सम्यक, रूप से संघटित न हो जाये और सभापति या उपसभापति का निर्वाचन न हो जाये।

-----  
1. सं0 8632-सी/12-सी0ए0-5(1)-69 दिनांक 5 दिसम्बर 1969 उ0प्र0 आसाधारण गजट दिनांक 05 दिसम्बर 1969 के द्वारा प्रयुक्त।

2. अधिसूचना सं0 2700/49-1-94-7-(1)-94 दिनांक 15.07.94 द्वारा बदला गया।

भाग-2 समितियों के सम्बन्ध में निर्वाचन नियम